रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1214] नई दिल्ली, सोमवार, मई 1, 2017/वैशाख 11, 1939
No. 1214] NEW DELHI, MONDAY, MAY 1, 2017/VAISAKHA 11, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2017

का.आ. 1374(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 108 के उपनियम 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में विनिर्दिष्ट करती है कि कार्यालय ड्यूटी पर ऐसे यानों को जिन्हें निम्नलिखित आपात और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया है, उनके शीर्ष अग्रभाग पर बहु–रंगी लाल, नीली और सफेद बत्ती का प्रयोग करने के लिए अनुज्ञात किया जाता है:

(क) अग्नि को नियंत्रित करने से संबंधित कर्तव्यों;

(ख) पुलिस, रक्षा दलों अथवा अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कर्तव्य;

(ग) भूकंप, बाढ़, भू–स्खनल, चक्रवाती तूफान, सुनामी सहित प्राकृतिक आपदाओं तथा नाभिकीय आपदा, रासायनिक आपदा एवं जीववैज्ञानिक आपदा सहित मानवनिर्मित आपदाओं के प्रबंधन से संबंधित कर्तव्य;

2. किसी यान पर बहु–रंगी बत्ती का उस समय प्रयोग नहीं किया जाएगा जब वह नामनिर्दिष्ट कर्तव्य पर कार्यरत न हो।

3. प्रत्येक वर्ष, यथा स्थिति, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का परिवहन विभाग उन प्रतिधकारियों की सूची आम जनता की जानकारी में लाने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी करेगा जिनको पैरा 1 मे खंड (क) और खंड (ख) में विनिर्दिष्ट यानों का उपयोग करने की अनुज्ञा प्रदान की गई है और ऐसे यान ऐसे परिवहन विभाग द्वारा जारी स्टिकर को अपनी विन्डस्क्रीन पर प्रदर्शित करेगा जो निम्नलिखित रूपविधान में होगा, अर्थात् :—

"सरकार (जारी करने वाले राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रषासन का नाम) ....

अधिकारी (अधिकारी का पदाभिधान)..........................

यान नम्बर ...."

4. एक समय बिन्दु पर एक यान के लिए पदाभिहित अधिकारी को केवल एक स्टिकर जारी किया जाएगा।

5. स्टिकर सुरक्षा–मुद्रित वाटर मार्क पेपर पर होगा और इसमें संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परिवहन विभाग द्वारा यथाविनिर्दिष्ट होलोग्राम भी होगा।

[फा. सं. आर.टी–11036/24/2017–एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा के द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2017

S.O. 1374(E).—In pursuance of powers conferred under sub-rule 4 of rule 108 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, the Central Government hereby specifies that the vehicles on office duty which are designated for the following emergency and disaster management duties may be allowed to use multi coloured red, blue and white light on its top, namely :-

(a) the duties relating to control of fire;

(b) the duties by police, defence forces or paramilitary forces for maintenance of law and order;

(c) the duties relating to management of natural disasters including earthquake, flood, land slide, cyclone, tsunami and manmade disasters including nucleardisaster, chemical disasterand biological disaster.

2. The multi coloured light shall not be put to use when the vehicle is not on the designated duty.

3. Every year, the Transport Department of the State or Union territory Administration, as the case may be, shall issue a public notice bringing to the notice of the general public the list of authorities to whom the permission to use the vehicles specified in clauses (a) and (b) of paragraph 1 has been granted and such vehicles shall display on its windscreenthe sticker issued by such Transport Department which shall be in the following format, namely:-

"Government of (name of issuing State Government of Union territory Administrations)

Designation of the Officer (s)...............

Vehicle Number ....".

4. Only one sticker shall be issued to the designated officer for one vehicle at one point of time.

5. The sticker shall be on security printed water mark paper and shall carry hologram as specified by the Transport Department of the concerned State Government or Union Territory Administration.

[F. No. RT-11036/24/2017-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published *vide* number G.S.R. 590(E) dated the 2nd June, 1989.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.05.01 22:07:15 +05'30'

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333] नई दिल्ली, सोमवार, मई 01, 2017/वैशाख 11, 1939
No. 333] NEW DELHI, MONDAY, MAY 01, 2017/VAISAKHA 11, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2017

सा.का.नि. 423(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप–खंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 397(अ), तारीख 20 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गये थे, जिसमें उन प्रभावित व्यक्तियों से, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करवा की गई थीं, दस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गये थे;

जबकि उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 20 अप्रैल, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (सातवां संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 108 में, –

(क) उपनियम (1) के परंतुक में, –

(i) खण्ड (ii) में, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात –

(ii) एंबर लाइट यदि किसी दिशा सूचक द्वारा प्रदर्शित की जाती है या टाप लाइट जिसका वायु पत्तनों, पत्तनों जैसे परिसरों के भीतर उन परिसरों के बाहर सार्वजनिक सड़कों पर जाए बिना चलने वाले यान पर उपयोग किया जाता है;

(iii) खंड (iii) का लोप किया जाएगा;

(iv) खंड (v) का लोप किया जाएगा;

(ख) उपनियम (2) और उपनियम (3) का लोप किया जाएगा;

(ग) उपनियम (4) में, "आपात ड्यूटी के लिए यानों पर ही अनुज्ञात होगा और विनिर्दिष्ट रूप से राज्य सरकारों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "ऐसी आपात ड्यूटी और आपदा प्रबंधन ड्यूटी तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, के लिए यानों पर ही अनुज्ञात होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) उपनियम (5) और उपनियम (6) का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. आर.टी.–11036/24/2017–एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 271(अ), तारीख 20.03.2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2017

G.S.R. 423(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 397 (E), dated the 20^{th} April, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from affected persons before the expiry of the period of ten days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to public;

Whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 20^{th} April, 2017;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Seventh Amendment) Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 108,—

   (a) in sub-rule (1), in the proviso,—

      (i) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:—

      "(ii) the amber light, if displayed by any direction indicator or as top light used on vehicle for operating within the premises such as airports, ports, mines and project sites, without going outside the said premises on to public roads;"

      (iii) clause (iii) shall be omitted;

      (iv) clause (v) shall be omitted;

   (b) sub-rules (2) and (3) shall be omitted;

   (c) in sub-rule (4), for the words "emergency duties and shall be specifically specified by State Governments", the words "such emergency and disaster management duties as may be specified by the Central Government" shall be substituted;

   (d) sub-rules (5) and (6) shall be omitted.

[F. No. RT-11036/24/2017-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and was last amended vide notification number G.S.R. 271(E), dated 21.03.2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.05.01 22:11:35 +05'30'

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

<u>अधिसूचना</u>

सं0-6/सी.एम.टी./24/20212-2410 पटना, 01 मई 2017

सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं0-***सा.का.नि.423(अ),*** दिनांक:- 01.05.2017, के द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 108 में,-

(क)उपनियम (1) के परन्तुक में,-

(i)खण्ड(ii) में ,'' वायुपत्तनों, पत्तनों'' शब्दों के स्थान पर, ''वायुपत्तनों,पत्त्नों, खानों और परियोजना स्थलों'' शब्द रखे गए हैं।

(ii) खण्ड (iii) का लोप किया गया है।

(iii) खण्ड (v) का लोप किया गया है।

(ख) उपनियम (2) और उपनियम (3) का लोप किया गया है।

(ग) उपनियम (4) में, ''आपात ड्यूटी के लिए यानों पर ही अनुज्ञात होगा और विनिर्दिष्ट रुप से राज्य सरकारों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा'' शब्दों के स्थान पर ''ऐसी आपात ड्यूटी और आपदा प्रबंधन ड्यूटी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाऐं, के लिए यानों पर ही अनुज्ञात होगा'' शब्द रखे गए हैं।

(घ) उपनियम (5) और उपनियम (6) का लोप किया गया है।

अत: केंद्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम , 2017 के अधिसूचित होने के फलस्वरुप वाहनों के शीर्ष अग्रभाग पर लाल बत्ती (फ्लैशर सहित/फ्लैशर रहित), नीली बत्ती (फ्लैशर सहित/फ्लैशर रहित), के प्रयोग हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना सं0-1374,दिनांक:- 04.03.2014, अधिसूचना:- 3450 दिनांक-18.06.2014 को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

अपर सचिव,

ज्ञापांक-6/सी.एम.टी./24/2012-2410 पटना, दिनांक:-01 मई 2017

प्रतिलिपि-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय,गुलजारबाग,पटना द्वारा संयुक्त सचिव, ई-गजट कोषांग,वित्त विभाग,बिहार,पटना को सी.डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी

असाधारण अंक में प्रकाशण हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 500 अतिरिक्त प्रतियाँ उपलब्ध कराया जाय।

1/5/2017
अपर सचिव,

ज्ञापांक-6/सी.एम.टी./24/2012-2410 पटना, दिनांक:- 01 मई 2017

प्रतिलिपि-राज्यपाल के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधान परिषद एवं विधान सभा सचिवालय,बिहार/मुख्य सचिव,बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय,पटना/सचिव, लोकायुक्त,बिहार/ महाधिवक्ता, बिहार/ सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/सचिव,बिहार राज्य आल्पसंख्यक आयोग/सचिव, अनुसूचित जाति आयोग/सचिव, अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, अति पिछड़ा वर्ग आयोग/सचिव महादलित आयोग/सचिव,उच्च जाति के राज्य आयोग/सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, राज्य योजना पर्षद/उपाध्यक्ष, आपदा प्रबंधन प्राधिकार,बिहार/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/पुलिस महानिदेशक/महालेखाकार बिहार,पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी / सभी पुलिस अधीक्षक/सभी जिला न्यायाधीश / सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी , बिहार/सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी/सभी प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक,बिहार/सभी मोटर यान निरीक्षक,बिहार एवं परिवहन विभाग,बिहार (मुख्यालय) के सभी पदाधिकारी एवं सभी प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/5/17
अपर सचिव,

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

परि0-6/सी.एम.टी./24/2012-2411

प्रेषक,

राज्य परिवहन आयुक्त,

बिहार,पटना।

सेवा में,

सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव,बिहार।

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।

पुलिस महानिदेशक,बिहार।

सभी जिला पदाधिकारी,बिहार।

सभी पुलिस अधीक्षक,बिहार।

पटना, दिनांक:-01.05.2017

विषय:- वाहनों के शीर्ष अग्रभाग पर लाल बत्ती (फ्लैशर सहित/फ्लैशर रहित), नीली बत्ती (फ्लैशर सहित/फ्लैशर रहित), के प्रयोग पर रोक के संबंध में।

प्रसंग:- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिसूचना सं0- ***सा.का.नि.423(अ)***, दिनांक-01.05.2017 ।

महाशय,

केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली,1989 के नियम 108 में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना संख्या ***सा.का.नि.423(अ)***, दिनांक 01.05.2017 द्वारा राज्य सरकार में निहित शक्ति को विलोपित किये जाने के कारण राज्य सरकार द्वारा पूर्व में वाहनों के शीर्ष अग्रभाग पर लाल बत्ती (फ्लैशर सहित/फ्लैशर रहित), नीली बत्ती (फ्लैशर सहित/फ्लैशर रहित), के प्रयोग हेतु निर्गत अधिसूचना सं0 1374, दिनांक 04.03.2014 एवं 3450, दिनांक 19.06.2014 को तत्काल प्रभाव से विलोपित कर दिया गया है।

(क) उपरोक्त संशोधनों के फलस्वरूप उप नियम 1 के खण्ड 2 में मात्र वायुपत्तनों, पत्तनों पर चलने वाले वाहनों पर अम्बर प्रकाश का उपयोग प्रावधानित था। विस्तृत परिक्षेत्र एवं व्यापकता को देखते हुए वायुपत्तनों, पत्तनों के अतिरिक्त खानों और परियोजना स्थलों पर उपयोग किये जाने वाले वाहनों पर अम्बर प्रकाश के उपयोग की अनुमति दी गई है।

(ख) खण्ड 3 में पूर्व में केन्द्रीय या राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर यथा विनिर्दिष्ट उच्च महत्वपूर्ण व्यक्तिगण को अभिवहन करते हुए वाहनों पर लाल या नीला प्रकाश लगाना प्रावधानित था। इसे अब विलोपित कर दिया गया है।

(ग) खण्ड 4 में एम्बुलेंस पर बैगनी शीशा लगा हुआ ब्लिंकर (Blinker) प्रकार का प्रकाश उपयोग करना प्रावधानित था, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, अर्थात् एम्बुलेंस पर ब्लिंकर (Blinker) पूर्ववत रहेगा।

(घ) उप नियम 2 में वाहनों पर फ्लैशर के साथ नीले प्रकाश के प्रयोग को राज्य सरकार द्वारा अपने विवेक पर निर्धारित एवं अधिसूचित किये जाने का प्रावधान था। इस उप नियम को नये नियम में विलोपित कर दिया गया है।

(ड़) उप नियम 3 में वाहनों पर फ्लैशर के साथ या रहित, नीले प्रकाश के प्रयोग की अनुमति, लाल प्रकाश के प्रयोग करने के हकदार उच्च महत्वपूर्ण व्यक्तिगण को अनुरक्षित करते हुए वाहनों पर प्रयोग करने का प्रावधान किया गया था, जिसे नये संशोधन में विलोपित कर दिया गया है।

(च) उप नियम 4 में वाहनों पर लाल, नीला एवं सफेद प्रकाश के प्रयोग की अनुमति केवल आकस्मिक कर्त्तव्यों हेतु राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट वाहनों पर प्रयोग करने का प्रावधान था। संशोधन के पश्चात् ऐसी आपात ड्यूटी और आपदा प्रबंधन ड्यूटी जो केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, के लिए वाहनों पर ही अनुज्ञात होगी।

राज्य सरकार द्वारा अति विशिष्ट एवं विशिष्ट व्यक्तियों को अधिसूचना संख्या 1374, दिनांक 04.03.2014 एवं 3450, दिनांक 19.06.2014 के द्वारा वाहनों पर लाल, नीला फ्लैशर रहित तथा फ्लैशर सहित बत्ती उपयोग करने के लिए अधिकृत किया गया था। उक्त संशोधनों के आलोक में इन प्रावधानों को अब समाप्त किया जाता है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली,1989 के नियम 108 में किये गए संशोधन का अनुपालन कृपया सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

1/5/2017

राज्य परिवहन आयुक्त

ज्ञापांक:- परि0-6/सी.एम.टी./24/2012-2411 परि0, दिनांक:-01.05.2017

प्रतिलिपि-राज्यपाल के प्रधान आप्त सचिव/मुख्य मंत्री के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, विधान परिषद एवं विधान सभा सचिवालय,बिहार/मुख्य सचिव,बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/महानिबंधक, माननीय उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, लोकायुक्त,बिहार /महाधिवक्ता, बिहार/ सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/सचिव,बिहार राज्य आल्पसंख्यक आयोग/सचिव, अनुसूचित जाति आयोग/सचिव,अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, अति पिछड़ा वर्ग आयोग/सचिव महादलित आयोग/सचिव,उच्च जाति के राज्य आयोग/सचिव, पिछड़ा वर्ग आयोग/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, राज्य योजना पर्षद/उपाध्यक्ष, आपदा प्रबंधन प्राधिकार,बिहार/सभी जिला न्यायाधीश / सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,बिहार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी , बिहार/सभी प्रवर्त्तन पदाधिकारी/सभी प्रवर्त्तन अवर निरीक्षक,बिहार/सभी मोटर यान निरीक्षक,बिहार एवं परिवहन विभाग,बिहार (मुख्यालय) के सभी पदाधिकारी एवं सभी प्रशाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/5/2017

राज्य परिवहन आयुक्त